

प्रपत्र-क

किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन (व्यक्तिगत किसान के लिए)					
आवेदक					
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)					
पिता/पति का नाम					
उम्र					पासपोर्ट साईज फोटो
लिंग					
जिला					
प्रखण्ड					
पंचायत					
ग्राम					
जाति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य				
कुल रकबा (एकड़ में)					
जमीन का विवरण					
क्रम संख्या	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल
फसल का विवरण					
क्रम संख्या	फसल का नाम		रकबा	उपज	
सिंचाई जल स्रोत	नदी/तालाब/डोभा/कुआ				
आधार संख्या					
मोबाइल नंबर					
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूँ। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा हूँ। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा/रही हूँ।					
संलग्नक:			अनुमोदित		
1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी 2. जमीन का मालगुजारी रसोद का फोटो कॉपी 3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी 4. वंशावली/शपथ पत्र की फोटो कॉपी 5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 6. जल स्रोत का प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा द्वारा)			आवेदक का हस्ताक्षर ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर Mob. No.- दिनांक-		

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

कृषि समृद्धि योजना

कृषक समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन पत्र

(समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 सदस्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा सदस्यों के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक समूह एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

समूह का नाम		हाँ		नहीं		
(केवल महिला स्वयं सहायता समूह के लिए)						
पंजीकरण संख्या:						
समूह के गठन के तारीख						
समूह के अध्यक्ष का नाम, जो समूह की ओर से आवेदन करेंगे						
मोबाइल नंबर (आधार लिंकड)						
आधार नंबर						
समूह का पता- ग्राम		पंचायत				
प्रखंड		जिला				
समूह के सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण						
क्र. सं.	सदस्य का नाम	आधार नंबर	आधार लिंकड मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण		
				खेती- खेती नंबर	एलाट/खेती नंबर	एकड़ हिसाबिल
1						
2						
3						
4						

[illegible]

समूह द्वारा खेती का विवरण

क्रम संख्या	फसल का नाम	रकबा (एकड़ में)

सिवाई जल स्रोत	नदी	तालाब	डोभा / कुआं
----------------	-----	-------	-------------

घोषणा / सहमति

इस समूह के सभी सदस्य यह घोषणा करते हैं की योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार समूह पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। समूह योजना का लाभ लेने के लिए समूह द्वारा एस्कौ (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस समूह दवारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी श्रोत से नहीं लिया गया है और ना हो समूह और समूह के सदस्यों या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। समूह के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलाग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। समूह के सदस्यों की और से समूह के अध्यक्ष e-KYC करारेंगे।

संलग्नक :-

1. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी
2. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
3. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e-KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रसीद

नोट:- आर्वेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आर्वेदन निरस्त किया जा सकता है।

कृषि समृद्धि योजना

कृषक उत्पादक संस्था/कृषक उत्पादक कंपनी/लैम्प्स/पैकस के लिए आवेदन पत्र

कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह का पंजीकृत नाम

समूह का पता-ग्राम

पंचायत

जिना

शेपरहोल्डर सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं

क्र. सं.	शेयरहोल्डर सदस्य का नाम	आधार नंबर	आधार लिंकड मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण			
				जोखाना-		धाना नं०-	
				खाला नंबर	प्लॉट/खेसरा नंबर	एकड़	टुकड़ा
1							
2							
3							
4							

[illegible]

संस्था द्वारा खेती का विवरण :

[illegible]

दोषणा/सहमति

यह संस्था के घोषणा करती है। तक योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार संस्था पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। संस्था योजना का लाभ लेने के लिए संस्था द्वारा एस्क्रो (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस संस्था द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी स्रोत से नहीं लिया गया है और ना ही आवेदन में दिए गए सदस्यों के पास या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। संस्था के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों की और से अधिकृत पदाधिकारी e-KYC कराएंगे।

अनुमोदित

1. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-RVC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी
2. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-RVC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
3. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-RVC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद
4. संस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
5. GST/PAN/TAN की फोटो कॉपी

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर

मोबाइल नंबर:
दिनांक—

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

प्रपत्र-‘ड.’

किसान समृद्धि योजना

आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र तथा भुगतान हेतु अनुरोध पत्र

सेवा में,

दिनांक-

जिला कृषि पदाधिकारी,

जिला-.....

महाशय,

मैंआधार संख्या.....अध्यक्ष/सक्षम

पदाधिकारी (समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS का नाम).....

ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....

सूचित करता हूं कि श्री आधार सं०.....

को किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत 2HP/5HP सोलर पम्प इकाई का अधिष्ठापन उक्त योजना हेतु अधिसूचित कम्पनी द्वारा किया गया है और मैं इकाई अधिष्ठापन के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हूं।

अतः अनुरोध है कि उक्त कम्पनी को देय राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

आवेदक का नाम/समूह के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का नाम

मोबाईल सं०-

दिनांक-